निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर
राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, राजस्थान

क्रमांकः क्षय / मासिक वाहन / 2025–26 / 480 दिनांक 10-06-2025

....

....

....

विषयः– राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अनतर्गत स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टीबी) में वित्त विभाग की दरों पर मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने हेतु सूचना।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टीबी) के राज्य क्षय रोग अधिकारी के लिये मासिक किराये के आधार पर वित्त विभाग राजस्थान सरकार की निर्धारित दरों पर पर स्वंय की स्वामित्व वाले वाहन किराये पर लेने के प्रयोजनार्थ फर्म एवं ट्रेवल एजेन्सीज से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

क्र.स.	कार्य का नाम	वाहनों की कुल संख्या
1.	किराये के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।	01

प्रस्ताव / प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक कमरा नम्बर 13 नई बिल्डिंग, स्वास्थ्य भवन में जमा कराये जा सकते है। प्रस्ताव / प्रार्थना पत्र मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावें, जिस पर स्पष्ट रूप से "मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने" हेतु प्रार्थना पत्र लिखा होना चाहिए। निविदा / प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक हैः–

1. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रमाणित प्रति।
2. वाहन के बीमा प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. वाहन का फिटनेस प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
4. वाहन का पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. वाहन चालक के वैध लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति।
6. वाहन चालक का फोटो।
7. वाहन मालिक / सेवाप्रदाता के बैंक खाते की पासबुक / चैक की प्रमाणित प्रति।
8. अनुबन्ध करते समय वाहन के समस्त मूल कागजात प्रस्तुत करने होंगे, जो कमेटी द्वारा सत्यापन उपरान्त वापस कर दिये जायेंगे।

<u>वाहन के संचालन हेतु निम्न शर्ते मान्य होगीः–</u>

1. वाहन की मरम्मत, पीओल आदि व्यय वाहन के मालिक / फर्म / एजेन्सी द्वारा ही वहन किये जायेगें।
2. मासिक दरों में जीएसटी यदि मान्य है तो पृथक से अंकित करें।
3. वाहन को आवश्यकतानुसार कभी भी जयपुर / राजस्थान से बाहर भेजा जा सकता है, इस हेतु पार्किंग, टोलटैक्स, इन्टरस्टेट टैक्स इत्यादि का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से देय होगा।
4. वाहन प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे अथवा अधिकारी के द्वारा सूचित समय पर उपलब्ध करवाना होगा तथा अधिकारी द्वारा वाहन को मुक्त करने का समय ही समाप्ति का समय होगा।
5. राजपत्रित अवकाशों के दिन भी आवश्यकता होने पर वाहन उपलब्ध करवाना होगा जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जावेगा।
6. वाहन के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था तुरन्त करनी होगी।
7. वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अतिआवश्यक है, तथा फोन की कनेक्टिविटी 24 घण्टे चालु रखनी होगी।
8. जयपुर मुख्यालय के बाहर राशि विश्राम करने पर 300 प्रति रात्रि चार्जेज अतिरिक्त देय होगा।
9. वाहन का मॉडल 6 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। परन्तु वाहन की कन्डिशन सन्तोषजनक होने पर 02 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए 06 वर्ष से अधिक एवं 08 से कम पुराने वाहन पर भी विचार किया जा सकता है।
10. वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकरण का होना चाहिए।
11. यदि वाहन चालक किसी दिन स्वैच्छा से अनुपस्थित रहता है, वित्त विभाग के सर्कुलर अनुसार राशि की कटौति की जावेगी।
12. वाहन चालक प्रतिमाह प्रतिमाह 2500 कि.मी. जैसी भी स्थिति को निर्धारित की जावेगी।
13. वाहन यदि प्रतिमाह 2500 कि.मी. से अधिक चलता है, तो वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार निर्धारित परिचालन सीमा से अधिक चालान का भुगतान किया जावेगा।
14. यदि वाहन मालिक वाहन हटाना चाहता है, तो उसकी सूचना 01 माह पूर्व लिखित में विभाग को देनी होगी।
15. वाहन या वाहन चालक की सेवाऐं सन्तोषप्रद नहीं होने पर वाहन तत्काल हटाया जा सकता है।
16. अनुबंधित वाहन की किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने की जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरदायित्व वाहन मालिक का स्वंय का ही होगा।

17. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग की सूचना लॉग बुक ड्यूटी स्लीप में प्रतिदिन अंकित की जावेगी। यात्रा समाप्ति पर कुल किलोमीटर वाहन जिसका प्रयोग किया गया है, के सत्यापन का हस्ताक्षर संबंधित प्रयोग कर्ता अधिकारी से मय उनके नाम एवं पद कराने होंगे।
18. वाहन के साथ हर समय पंजियन/रोड टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र compenhensive बीमा, प्रदुषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। वाहन का जोखिम अनुमोदित वाहन मालिक/सेवाप्रदाता का स्वयं का होना।
19. फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने वाहन के किलोमीटर की गणना स्वास्थ्य भवन/राजकीय कार्यालय से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी अंतिम गन्तव्य स्थान/स्वास्थ्य भवन तक ही गणना मान्य होगी।
20. वाहन कार्यालय परिसर में ही खडा किया जावेगा, लेकिन वाहन खडे करने का जोखित अनुमोदित वाहन मालिक का स्वंय को होगा।
21. वाहन चालक स्वच्छ ड्रेस में तथा वाहन भी साफ, स्वच्छ होगा।
22. वाहन चालक को विभिन्न कानूनो नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें वाहन मालिक द्वारा स्वंय के स्तर पर उपलब्ध कराई जावेगी। इस संबंध में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का कोई दायित्व नहीं होगा।
23. वाहन चालक की किस भी कारणवाश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का समस्त भार स्वयं वाहन मालिक/सेवाप्रदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम इसके लिये किसी भी प्रकार से सहयोगी एंव जिम्मेदार नहीं होगा।
24. बिल राशि का भुगतान नियमानुसार आयकर अथवा अन्य विधिक करों कटौति के पश्चात ही किया जावेगा।
25. प्रस्ताव का स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टीबी) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) का होगा।
26. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पडती है तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नहीं।
27. उक्त प्रयोजनार्थ यदि एक से अधिक फर्म/ट्रेवर्ल्स एजेंसी सोर्टलिस्ट की जाती है तो ऐसी स्थिति में निविदा वाहन के नवीनतम मोडल को वरियता देते हुए चयन किया जावेगा।
28. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, स्टेट प्रोग्राम कमेटी (टीबी) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) का निर्णय अंतिम होगा।
29. उक्त प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र पर वित्त विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में अंकित शर्ते एवं निर्देश अनुबंधित फर्म एवं ट्रेवल्स एजेन्सी पर प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा प्रस्तावों को स्वीकर करने उपरान्त वाहन उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी करने के 03 दिवस में 500/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्आम्प पेपर पर अनुबंध पत्र एवं 2500 किमी तक वाहन के संचालन हेतु 05 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 23520/–जमा करानी होगी। वाहन के ओरिजनल दस्तावेज भी अनुबंध के समय प्रस्तुत करने होंगे। प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रस्ताव स्वीकार्य नही होंगे।
30. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय की पालना में वाहन चालक का न्यूनतम मजदूरी की दरों पर भुगतान करने का दायित्व वाहन मालिक/फर्म/संवेदक का होगा।
31. वाहन चालक को न्यूनतम मजदूरी की दरों पर भुगतान करने की सुनिश्चितता के लिये वाहन मालिक/फर्म/संवेदक को आगामी माह के बिल के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
32. अनुबन्ध अवधि के दौरान वित्त विभाग द्वारा यदि दरों में संशोधन किया जाता है तो संशोधित दरों के अनुसार भुगतान देय होगा।

(डॉ. रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः क्षय/मासिक वाहन/2025–26/480 दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान।
3. सलाहकार (आईटी), एनएचएम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वैबसाईट www.rajswasthay.nic.in पर उपलब्ध करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर